District Command and Control Center

Strategy Modification for COVID Management

COVID-19 Status and need for strategy modification

- **Indore Sero Survey results reflect 7.75% Sero prevalence in community.**
- **Evidence indicates susceptibility of urban population for COVID-19 infection.**
- **Mandates strategy modification in the pillars of COVID Management – IITT.**

Before 1 June

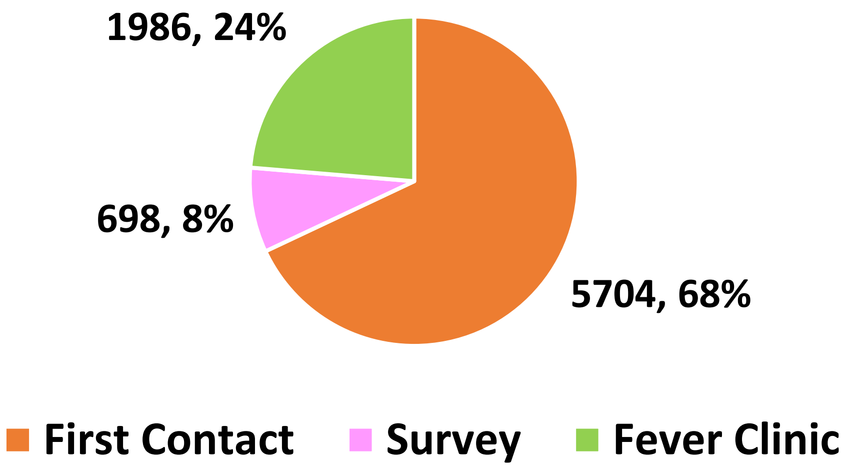

1-7 September

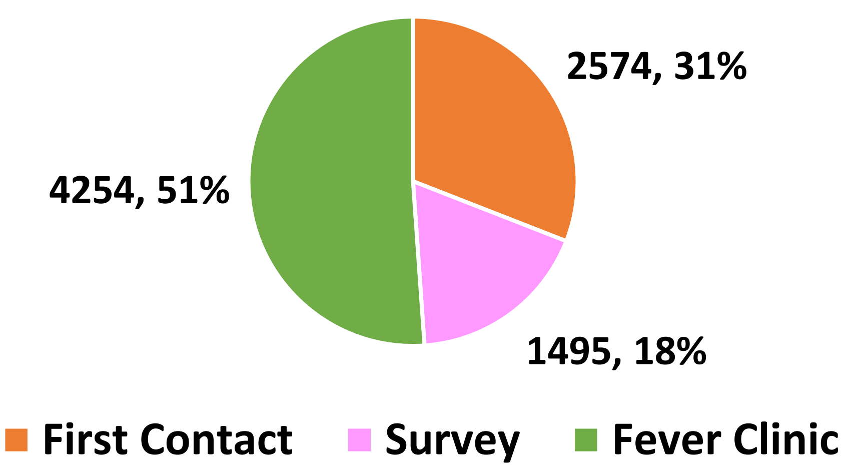

COVID-19 Status and need for strategy modification

- **Fever Clinics have documented high foot falls and ease of service delivery.**
- **Strengthening of Fever clinics with increased sample collection & testing.**
- **Emphasis on enhanced community onus for breaking COVID-19 infection transmission chain.**
- **Need for ensuring wide based sample lifting at Fever clinics.**

Clarifying Home Quarantine and Home Isolation

1. Any asymptomatic person with contact history is a "Contact" and should be placed in either Home Quarantine (If facilities are available) or Institutional quarantine.

- **"Contact" in the context of COVID-19.**
- **A person living in the same household as a COVID-19 case**
- **A person having had direct physical contact with a COVID-19 case or his/her infectious secretions without recommended personal protective equipment (PPE) or with a possible breach of PPE**
- **A person who was in a closed environment or had face to face contact with a COVID-19 case at a distance of within1metre including air travel**
- ***The epidemiological link may have occurred within a 14-day period before the onset of illness in the case under consideration.***

Clarifying Home Quarantine and Home Isolation (Contd.)

2. Any pre symptomatic/asymptomatic /very mild symptomatic COVID positive case should be placed in Home isolation/COVID Care Centre.

3. When sample result is awaited and "Contact" is asymptomatic then the person should be placed in Home quarantine (if facilities are available) else should be placed under Institutional quarantine.

4. When sample result is awaited and "Contact" is symptomatic then the person is a 'Suspect' and should be placed in Home Isolation (if facilities are available) else placed under care in COVID Care Centre.

Identification & Isolation post Unlock- Focus areas

1. **Rural Strategy**
   - **Continue rigorous Contact tracing and Institutional quarantine.**
2. **Urban Strategy**
   - **Fever clinics to act as principal pivot for case identification.**
   - **Greater thrust on social accountability in breaking the transmission chain.**
   - **Protocol based Home Isolation for asymptomatic & very mild cases.**
   - **Expected Home isolation- 40% of active cases.**
   - **Institutional isolation in CCCs wherever necessary.**
   - **Quarantine**
     - **Home quarantine wherever possible**
     - **Paid Institutional Quarantine to be promoted**

Social accountability of COVID-19 positive cases
(Urban Areas)

1. **Inform all Direct and High Risk Contacts & explain need for immediate quarantine and protocol based testing.**

2. **Provide detailed list and contact numbers of Direct and High Risk Contacts to DSO.**

3. **Asymptomatic direct and high risk contacts to quarantine themselves**
   - **Home (wherever possible)**
   - **Institutional (where necessary)**
   - **Paid (preference for paid quarantine)**

4. **Asymptomatic direct and high risk contacts of COVID-19 positive case to get self tested at fever clinics by RAT between Day 5 & Day 10 of coming into contact.**

5. **All symptomatic (ILI symptoms) contacts of COVID positive case to be tested by RTPCR/TrueNat/CBNAAT or RAT (In order of priority).**

6. **Samples for COVID-19 test to be given at the fever clinics as stipulated.**

7. **Able citizens can report to institutional quarantine (suspects) or COVID care centers (Asymptomatic/very mild symptomatic COVID positives) by self transport.**

Mgt. of COVID-19 Positive Cases
(Rural Areas)

- **Listing of direct and high risk contacts of COVID positive case.**
- **Continuous and rigorous contact tracing by field teams.**
- **Lifting of samples by mobile teams or sample collection at peripheral Fever clinics.**
- **Appropriate referrals by use of risk stratification and decision matrix for institutional quarantine or isolation.**
- **Restructuring of MMU & RRT teams (1 MO & 1 Administrative officer).**

District COVID Command and Control Center

Objectives

1. To render information of fever clinics/sample collection centers on demand to the citizens.
2. 24x7 Active surveillance of home isolated patients by Medical Officers by video calling.
3. Daily tele-contact, symptomatic monitoring and advice of basic medicines.
4. Early identification of danger symptoms and appropriate referral & transport.
5. Monitoring self reporting of daily vitals and symptoms on 'Sarthak Lite App' by persons under home isolation.
6. To make available information of updated bed availability status of CCC, DCHC & DCH on demand.
7. Maintenance of records of medical parameters for record and analysis.
8. To act as one point contact for COVID positive patient under home isolation.

Infrastructure Pre-requisites of District COVID Command & Control Center

- **Choice of Place:** District headquarter facility having ample space for tele calling nodes, 24x7 supervision by Medical Officers and data maintenance.
- **Well ventilated room with separate space for seating tele-monitors and supervisory Medical Officers.**
- **Number of seats to be decided as per urban population, total population, local case load, positivity rate in the district.**
- **Seating arrangements to be ensured 1-2 metres apart.**

Infrastructure Pre-requisites of District COVID Command & Control Center

- **Room to be well lit, cross ventilated with 24x7 electricity and water supply.**
- **Availability of fans, telephone, arrangements for proper hand washing, clean toilets and covered lid dustbins for BMW management.**
- **Adequate spaces available for administrative & staff use, logistics and record maintenance.**
- **Stationing of a 24x7 Ambulance for transporting symptomatic home isolated patients.**
- **Leveraging other available ambulance/vehicles of the district if there is need.**

HR Requirements of District COVID Command & Control Center

- District COVID Command & Control Centre will operate round the clock.
- Each seat to be manned by a computer friendly operator for receiving, recording and appropriate handling of queries.
- For each 3-5 seats, 1 MBBS MO or Ayush MO (if MBBS MO is unavailable) to be deployed.
- 3 shifts will be operationalized : 7 am – 2 pm, 2 pm – 9 pm & 9 pm – 7 am.
- 3 such teams required to ensure 24x7 operationalization.
- Deploy male doctors preferably during night shifts.
- Rational deployment of MMU MOs & RRTMOs to be ensured for operationalization.

HR Requirements of District COVID Command & Control Center

- **Tele/video calling by a deputed team of Doctors (MBBS MO/ Ayush MO) twice a day between 8-9 am & 7-8 pm.**
- **Rotational duties of staff can be done for 10 days.**
- **2 Ambulance drivers to be present for round the clock operations.**
- **RRT vehicles may be stationed at the DCCCC at during night hours.**
- **Back up reserve work force for all caders to be planned for exigency.**

Logistics needs for District COVID Command & Control Center

1. **Office furniture (Table, Chair, Computer Systems, Printer, UPS, Almirah for records).**
2. **3-5 telephone nodes (Telephone apparatus + Monitors with Web cameras) depending on urban population, total population, local case load and positivity rate of the district.**
3. **24x7 Internet facility.**
4. **Patient information material.**
   a. **Detailed information brochure explaining conditions of institutional admission.**
   b. **List, address and Contact No. of institutional quarantine facilities.**
   c. **List, address and Contact No. of paid quarantine facilities.**
   d. **List, address and Contact No. of COVID Care Centers, DCHCs and DCHs.**
   e. **Options of admission in private hospital on payment basis.**

6. **FAQs on COVID Management.**

7. **Stationery for printing of reports.**

Out bound video calling from District COVID Command & Control Center

- **COVID Control and Command Center shall operate through one common number – 1075.**
- **Citizens to dial district STD code followed by 1075 for contacting the Center.**
- **District administration to immediately coordinate local BSNL office for required facilities.**
- **Command Center MO shall contact patients under home isolation twice daily to video calls.**
- **Districts requiring 3 or more numbers for video calling services to avail additional numbers for WhatsApp video calling.**

Out bound video calling from District COVID Command & Control Center

- **Posted MOs shall seek and enter vital and symptomatic status of home isolated patients on Sarthak Portal login credentials of COVID Command and Control Center.**
- **Line list of home isolated patients of the district shall be available on 'Sarthak Portal'.**
- **Home Isolated patients to download 'Sarthak Lite App' for self reporting using pulsoximeter and thermometers.**
- **1 Dedicated COVID Ambulance to be stationed at each COVID Command and Control Center for need based transport of home isolated patients.**

Mgt. of incoming calls at District COVID Command & Control Center

- **Upload and update list of fever clinics, sample collection centers, CCC, DCHC and DCH info on 'Sarthak Portal'.**
- **Bi-weekly up-dation of details to be ensured by the districts on 'Sarthak Portal' under manage treatment facility tab.**
- **Tele-caller should be sensitized on ready access of the above for handling of calls.**
- **Bed availability status to be updated in Form 3B three times a day (10 am, 3 pm & 8 pm).**
- **COVID hospitals can also update bed availability on Form 3B by downloading 'Sarthak Lite' App and registering as treatment facility.**
- **Calls received on State helpline number 104 shall be diverted to District COVID Command & Control Center for necessary redress.**

Who are eligible for Home Quarantine

Asymptomatic contacts of a COVID positive person living in same household as a COVID-19 case or persons having direct physical contact with the case/infectious secretions with a possible breach of PPE or asymptomatic contacts awaiting test results should be Home Quarantine

Importance of adherence to Quarantine Protocols

- **Possibility of negative report in contacts if tested before day 5 of coming in contact with a COVID positive or date of exposure.**
- **Contacts may be asymptomatic and still transmit disease.**
- **Median incubation period of Corona virus (SARS CoV2) is about 5-7 days.**
- **Quarantine period of 14 days minimizes risk of COVID-19 transmission as the person is isolated for almost double the incubation period of SARS CoV2.**

Duration of Home Quarantine

Home quarantine period is for 14 days from contact with a confirmed case or earlier if a suspect case (of whom the index person is a contact) turns out negative on laboratory testing.

Who are eligible for Home Isolation

Very mild/asymptomatic/pre-symptomatic COVID positives having the requisite facility at his/her residence for self-isolation are eligible for home isolation.

Eligibility for Home Isolation

- **Asymptomatic or very mild symptomatic (Cough, Cold, Sore throat, Temperature <100.4^0 F or 38^0 C, SPO2 ≥ 95%.**
- **Absence of symptoms like:**
  - ❖ **Difficulty in breathing**
  - ❖ **Persistent pain/pressure in chest**
  - ❖ **Mental Confusion or drowsiness**
  - ❖ **Slurred speech/seizures**
  - ❖ **Weakness or numbness in any limb or face**
  - ❖ **Bluish discoloration of lips/face**
- **Age < 60 years**
- **No co-morbidities (Diabetes, Hypertension, CLD, CKD Organ transplant, Cancer, HIV etc.)**
- **Certification of suitability of Home Isolation by a Medical Officer.**
- **Care giver and all close contacts should take <u>Hydroxychloroquine prophylaxis</u> as per protocol and as prescribed by the treating medical officer.**

Pre requisites for Home Isolation

- **Person should be clinically assigned as a very mild symptomatic/asymptomatic case by treating Medical Officer.**
- **Availability of separate well ventilated room with toilet and 24x7 care giver (Young family member/relative/neighbor/friend etc.).**
- **Facility for quarantining family contacts.**
- **Mobile for download of Sarthak Lite App.**
- **Availability of pulsoximeter and Digital thermometer.**
- **Amenities for home disinfection with 1% Sodium hypochlorite.**
- **Signed Undertaking on self isolation and adherence to guidelines.**

Home Isolation Checklist for checking appropriateness

1. लक्षण रहित/पूर्व रोग सूचक/अति मंद लक्षण वाले कोविड पॉजीटिव रोगी का नाम...

2. कोविड सैम्पल रिपोर्ट पॉजीटिव आने का दिनांक..

3. पूर्ण पता..

4. घर पर पृथक कक्ष/शौचालय की उपलब्धता (हाँ/नहीं)..

5. कोविड–19 व्यक्ति की देखभाल हेतु 24x7 देखभालकर्ता की उपलब्धता (हाँ/नहीं)..

6. कोविड पॉजीटिव व्यक्ति का मोबाईल नम्बर...

7. देखभालकर्ता के पास मोबाईल व सार्थक लाईट एप उपलब्ध (हाँ/नहीं)..

8. घर पर कोविड पॉजीटिव व्यक्ति की **Temperature, Pulse rate, SPO2** मापने की सुविधा है (हाँ/नहीं)....

9. कोविड–19 पुष्ट केस द्वारा होम आईसोलेशन संबंधी वचन पत्र भरने हेतु सहमति (हाँ/नहीं)...

Home Isolation Checklist for checking appropriateness (Contd.)

10. कोविड पॉजीटिव व्यक्ति से मैपड् संस्था

कोविड केयर सेन्टर (CCC)	डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC)	डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH)
कोविड अस्पताल का नाम/पता		
कोविड अस्पताल प्रभारी चिकित्सक का नाम/संपर्क नं.		

11. लक्षण होने पर संपर्क अधिकारी का नाम/नम्बर

1.District Surveillance Officer (DSO) नाम.. संपर्क नं. ....

2.Surveillance Medical Officer (SMO) नाम.. संपर्क नं. ....

3.Mobile Medical Unit MO (MMU MO) नाम.. संपर्क नं. ....

12. होम आईसोलेशन हेतु अनुमोदन देने वाले चिकित्सक का नाम.. संपर्क नं. ....

हस्ताक्षर

DSO/SMO/MMU चिकित्सक का नाम..

पदस्थापना स्थल..

दिनांक..

मोबाईल नम्बर..

Format of Undertaking for Home Isolation

मैं, श्री/श्रीमती/कु.. पुत्र/पुत्री/पत्नी..उम्र................ निवासी........... .... का कोविड–19 जॉच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि दिनांक................. पर होने से होम आईसोलेशन के निर्दिष्ट अवधि का कड़ाई से पालन करने का वचन देता/देती हूँ। इस दौरान मेरे द्वारा स्वयं/संपर्क में आने वाले देखभालकर्ताओं में कोविड–19 के लक्षण हेतु दैनिक निगरानी की जाएगी एवं लक्षण उत्पन्न होने अथवा सेहत में खराबी आने पर तत्काल मेरे द्वारा सूचना नियत सर्वेलेन्स चिकित्सा अधिकारी/**MMU Medical Officer** के मोबाईल नम्बर................................/104 पर दी जाएगी।

मुझे होम आईसोलेशन के संबंध में बरती जाने वाली समस्त सतर्कताओं के संबंध में समझाईश दी गई है।

यदि मेरे द्वारा होम आईसोलेशन के तय मानकों का उल्लंघन किया जाता है तो मेरे विरूद्ध मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949, महामारी रोग अधिनियम–1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 51 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

नाम–...
हस्ताक्षर–....................................
दिनांक–.......................................
संपर्क नम्बर–..............................

Precautions to be observed by Home Isolated Persons

1. **Maintain distance from other family members esp. elderly, pregnant women & children.**
2. **Abstain from participation in social/religious gathering.**
3. **Use triple layer mask at all times.**
4. **Must take rest and drink lot of fluids for adequate hydration.**
5. **Observe personal hygiene and sanitation of room.**
6. **Must adhere to physician's instructions and medication advice.**
7. **Wash hands frequently and follow respiratory etiquettes.**

Instructions for Home Isolated Patients

- **Discard mask after 8 hours of use or earlier in wet/soiled.**
- **Dis-infect mask with 1% Sodium Hypochlorite before discard.**
- **Avoid sharing personal items with other family members.**
- **Clean surfaces with 1% hypochlorite solution.**
- **Disinfect toilets and often touched surfaces (Tabletops, door knobs, handles).**
- **Self-monitor his/her health**

Instructions for Caregivers of Home Isolated Patient

- **Mask: triple layer medical mask**
- **He/she should avoid touching own face, nose or mouth.**
- **Hand hygiene**
- **Exposure to patient: Avoid direct contact with body fluids of the patient**
- **Use disposable gloves while handling the patient. Perform hand hygiene before and after removing gloves.**
- **Provide food in room**
- **Separate utensils**
- **The care giver to ensure compliance of prescribed treatment**
- **The care giver and all close contact will self-monitor their health**

Treatment during Home Isolation

- **Diet and Treatment Protocol:**
  - **Balanced and High Protein Diet + Milk**
  - **Plenty of Oral Fluids + Warm Saline Gargles**
  - **Tab Azithromycin 1 OD x 5 days.**
  - **Tab. Ranitidine 150 mg 1 OD x 10 days.**
  - **Tab. Multivitamin Complex 1 BD x 10 days**
  - **Tab. Zinc 20 mg 1 OD x 10 days.**
  - **Tab. Vit. C 1000 mg x 10 days.**
  - **Tab Paracetamol 650 mg / Tab. Cetrizine 10mg SOS (Or as per age appropriate dose).**

Risk Stratification and Decision Matrix for Facility Selection for COVID-19 Positives

Facility Type	Consciousness	Age	Co-morbidities	Temp.	SPO2	Pulse rate	Resp. rate	BP
Home Isolation*	Alert & Conscious	< 60 yrs.	Absent	< 100.4^0 F or 38^0 C	> 95% at room air	< 100/min	< 24/min	> 100/70
CCC**	Alert & Conscious	< 60 yrs.	Absent	> 100.4^0 F but < 101^0F	> 95% at room air	< 100/min	< 24/min	≥100/70
DCHC	Alert & Conscious	</> 60 yrs.	Present	> 101^0 F or 38.3^0 C	90-94% at room air	100-120/min or < 60/min	24-30/min	< 90/60 or ≥160/100
DCH	Drowsy/Unconscious	> 60 yrs.	Present	> 101^0 F or 38.3^0 C	< 90% at room air	> 120/min or < 60/min	> 30/min	< 90/60 or ≥160/100

Scoring System	Alertness impaired		Age in yrs.		Co-morbidities		Temp. ^{0}F			SPO2			Pulse rate		Resp. rate		BP	
	No	Yes	<60	>60	-nt	+nt	<100.4	>100.4 but <101	>101	≥95%	<94%	<90%	<100	<60/>100	<24	>24	≥100/70	<90/60 or ≥160/100
	0	2	0	1	0	2	0	1	2	0	1	2	0	1	0	1	0	2

Score Sum Total 0 - Home Isolation	Score Sum Total 0 or 1 - CCC	Score Sum Total 2 - DCHC	Score Sum Total 3 or more - DCH

Note - 1.

HI *In asymptomatic & mild symptomatic (Cold, Cough, Sore throat) pts. when separate room & toilet + 24x7 adult caregiver is available.

CCC **In asymptomatic & mild symptomatic pts. when separate room & toilet + 24x7 adult caregiver is NOT available.

Risk Stratification and Decision Matrix for Facility Selection for COVID-19 Positives (Contd.)

Note - 2.

1. **This is an indicative decision-making matrix for choice of facility by RRT MO.**
2. **The tabulated criteria may be present singly or there may be more than one positive criteria for facility selection. Even presence of 1 criterion should be taken into consideration for decision of appropriate COVID facility selection.**
3. **Additionally, when more than 1 symptoms are present, RRT MO may add relevant scores and final scoring shall give an indication of choice of facility for appropriate referral.**
4. **Other than Age & coexisting co-morbidities, largely all other clinical variables can change in a given patient daily and several times a day because such variability is a part of physiological response symptoms/status.**
5. **Final decision-making power for up/down referral is vested in the facility in-charge based on clinical & diagnostic assessments.**
6. **In districts where DCH is not present, all pts. shall be pre-assessed at DCHC (2nd tier facility) by facility I/c prior to up-referral to DCH.**
7. **All pts. with parameters of DCH shall be referred to nearest DCH in ALS ambulance with intimation to destination hospital I/c.**
8. **Prior intimation of all up referrals shall be given to concerned Regional Directors Health Services for necessary coordination & follow up.**

Transport Facilities for Home Isolated patients

- **Free transport of COVID patients is provided by district administration.**
- **Symptomatic patients may be transported by dedicated Basic Life Support Ambulances equipped with Oxygen cylinder and Pulsoximeter.**
- **Mild symptomatic patients may be transported using other available vehicles of the districts.**

(Mandatory disinfection of vehicle to be ensured after transport)

- **Able patients may also use self transport with following precautions:**
  - **Use of mask in the vehicle at all times.**
  - **Maintain hand hygiene using sanitizer.**
  - **Keep windows open and ensure distance from driver.**
  - **Avoid using closed and air conditioned vehicles.**
  - **Driver to use mask and gloves while driving.**
  - **Curtail travel by more than 2 persons other than driver.**

Discontinuation of Home Isolation period

- **Patient under home isolation will stand discharged after 10 days of symptom onset and no fever for 3 days.**

- **Thereafter, the patient will be advised to isolate at home and self-monitor their health for further 7 days.**

- **There is no need for testing after the home isolation period is over.**

Home Isolation Brochure (Front page)

होम आईसोलेशन संबंधी सामान्य निर्देश

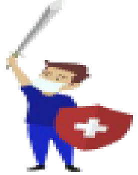

कोविड–19 पॉजीटिव व्यक्ति की भूमिका

- प्रथम संपर्क में आये समस्त व्यक्तियों की सूची तत्काल आर.आर.टी. दल को उपलब्ध कराना।
- अपने संपर्क में आये समस्त परिचितों से दूरभाष पर शीर्ध सूचित कर उन्हें निकट के फीवर क्लीनिक में जांच कराने हेतु समझाईश देना।
- लक्षण युक्त ``संपर्कों`` की जांच तुरन्त समीप के फीवर क्लीनिक में करवाने के लिए परिचितों को परामर्श देना।
- लक्षण रहित समस्त ``संपर्कों`` को अपने संपर्क दिनांक से 5वे–10वे दिन के बीच जांच कराने की सलाह देना।

कोविड–19 पॉजीटिव व्यक्ति के उच्च जोखिम संपर्क कौन है

- कोविड–19 पॉजीटिव केस के घर के सदस्य
- कोविड–19 केस के सीधे शरीरिक संपर्क अथवा संक्रमित स्राव के सीधे संपर्क में बगैर व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के आया व्यक्ति
- कोविड–19 केस के संपर्क में बंद वातावरण में 1 मीटर से कम दूरी में आमने–सामने आया व्यक्ति।
- संक्रमण का जोखिम लक्षण उत्पन्न होने के 14 दिवस के पूर्व से संभावित है।

होम आईसालेशन हेतु आवश्यक व्यवस्थायें क्या हो ?

- व्यक्ति एक पृथक हवादार शौचालय युक्त कक्ष में रहे।
- संक्रमित व्यक्ति होम आईसोलेशन अवधि में अपने कमरे से बाहर न निकले, अपने कमरे में ही खाना खाये तथा अन्य व्यक्तियों के सीधे संपर्क में न आये।
- अपने कपड़ों, कमरे के आम तौर पर छूये जाने वाले सतहों (दरवाजे के हेन्डल, बिजली के बटन आदि) तथा शौचालय की सफाई 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट सोल्यूशन से करें।

होम आईसोलेशन के दौरान क्या सावधानियाँ बरते ?

- घर के अन्य सदस्यों विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिलायें, बच्चों से दूरी बनाये।
- सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित न हों।
- पर्याप्त संतुलित आहार तथा तरल पेय पदार्थों का सेवन करें।
- समुचित आराम करें तथा व्यक्तिगत सुरक्षा व साफ–सफाई पर ध्यान दें।
- चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप औषधियों का सेवन जारी रखें।

Home Isolation Brochure (Back page)

होम आईसोलेटेड रोगी के घरेलू सदस्यों हेतु सतर्कतायें

- वृद्ध संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल घर के युवा सदस्य करें।
- देखभालकर्ता सदैव 3 परत मास्क का उपयोग करे।
- संक्रमित व्यक्ति को भोजन, पानी, औषधियॉं आदि देते समय दूरी बनाये रखें।
- घर से बाहर न निकले तथा अतिथियों को घर पर आमंत्रित न करें।
- देखभाल के दौरान सर्दी–खांसी, बुखार, गले में खराश आदि उत्पन्न होने पर तुरन्त एवं लक्षण रहित होने पर संपर्क दिनांक के 5वें से 10वें दिन के भीतर कोविड–19 की जांच समीप के फीवर क्लीनिक में करायें।

लक्षण जिनके प्रति सजग रहकर चिकित्सकीय परामर्श लेना जरूरी है

- सॉंस लेने में कठिनाई
- निरन्तर दर्द/छाती में दबाव/भारीपन
- मानसिक भ्रम या सचेत होने में कठिनाई
- होंठ/चेहरे का नीला पड़ना
- अन्य कोई लक्षण होने पर चिकित्सीय परामर्श अनुरूप

होम आईसोलेटेड व्यक्ति हेतु आवश्यक जानकारियॉं

- निकटस्थ "फीवर क्लीनिक" .... पता ....
- 24x7 संपर्क एवं चिकित्सकीय परामर्श हेतु जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर का दूरभाष नम्बर– जिले का एस.टी.डी. कोड 1075
- उदाहरणार्थ– जिला इंदौर हेतु 07311075
- जिला सर्वेलेन्स अधिकारी का संपर्क नम्बर ....
- सर्वेलेन्स चिकित्सा अधिकारी का संपर्क नम्बर ....
- समीपस्थ कोविड केयर सेन्टर CCC का पता ....
- डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर DCHC का पता ....
- डेडिकेटेड कोविड अस्पताल DCH का पता ....
- कोविड–19 उपचार करने वाले सशुल्क अस्पताल का पता ....

कोविड–19 पॉजीटिव व्यक्ति में लक्षण उत्पत्ति पर परिवहन व्यवस्थायें

- सक्षम व्यक्ति जिला कोविड कंट्रोल एवं कमांड सेन्टर से चर्चा कर उपलब्ध बिस्तर के आधार पर स्वयं के साधन से चिन्हांकित केन्द्रों पर जा सकते है।
- स्वयं का परिवहन अनुपलब्ध होने पर 108 तथा प्रशासन द्वारा निःशुल्क परिवहन व्यवस्था की जाती है।
- परिवहन के दौरान वाहन में सर्वथा मास्क का उपयोग किया जाये।
- हाथों की स्वच्छता हेतु सेनिटाईजर का उपयोग किया जाये।
- खिड़कियॉं खुली रखी जाये एवं ड्राईवर से दूरी बना कर रखी जाये।
- बंद एवं वातानुकूलित वाहनो का उपयोग नहीं किया जाये।
- ड्राईवर द्वारा मास्क एवं दस्तानों का उपयोग किया जाये।
- यथासंभव एक वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सफर नहीं किया जाये।

Home Isolation Kit

1.	Instruction Brochure.	
2.	List and address of Fever clinics.	
3.	List and Contact details of paid quarantine facilities.	
4.	List and Contact details of CCC	
5.	List and Contact details of DCHC.	
6.	List and Contact details of DCH.	
7.	List and contact details of COVID-19 hospitals providing treatment on payment.	
8.	Surgical Masks.	20 Pieces
9.	Tab Azithromycin 500 1OD x 5.	5 Tabs
10.	Tab Multivitamin I BD x 10 days.	2 Strips of 1x10 Tabs
11.	Tab Cetrizine 10 mg x 10 (For SOS use).	1 Strip of 1x10 Tabs
12.	Tab Paracetamol 500 mg 1 BD x 10 (For SOS use).	2 Strips of 1x10 Tabs
13.	Tab Ranitidine 150 mg 1 BD x 10.	2 Strips of 1x10 Tabs
14.	Tab Zinc 20 mg 1 OD x 10.	1 Strip of 1x10 Tabs
15.	Tab Vit. C 1000 mg x 10.	1 Strip of 1x10 Tabs
16.	Digital Thermometer	1 (To be purchased by HI patient)
17.	Pulsoximeter	1(To be purchased by HI patient)
18.	FAQs	1 Set

Query handling by Tele-operators & MO at DCCCC

Calls regarding COVID related general information

- **All calls to be 1st handled by Tele-operators.**
- **Tele-operators shall render information as per FAQs or information available on 'Sarthak portal'.**
- **Updated bed availability status shall be accessed from 'Sarthak portal' (Form 3B).**
- **Any grievance related call shall be transferred to DCCCC MOs for necessary redress & coordination**

Calls regarding COVID related clinical information

- **All calls regarding symptoms or medicine related queries shall be transferred to DCCCC MOs.**
- **All symptomatic patients to be in conversation with DCCCC MOs.**
- **Tele-monitoring of symptomatic patients twice daily (8-9 am & 7-8 pm) mandatorily by DCCCC MOs.**

कोरोना वायरस एवं कोविड–19 रोग के संबंध में जन साधारण हेतु प्रश्नावली

(अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न एवं उत्तर)

प्र.01 कोरोना संक्रमण कैसे फैलता है ?

उ.01 कोरोना संक्रमण का फैलाव निम्नानुसार संभव है:–

- यह वायरस प्रारंभिक रूप से मरीज के शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थ जैसे कि (श्वास नली के स्त्राव, रक्त, उल्टी एवं लार) के संपर्क में आने से फैलता है।
- संक्रमित व्यक्ति द्वारा खांसने/छीकने से संक्रमित बूंदे हाथ में या शरीर के किसी भी हिस्से में लग जाती है, जिससे अन्य व्यक्ति इसके संपर्क में आने से संक्रमित हो जाता है। अतः बिना मुहँ ढ़ंके, खांसने एवं छीकने से संक्रमण फैलता है।
- प्रयोगशाला द्वारा कोविड–19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने, हाथ मिलाने, गले लगाने या उसकी देखभाल करने से भी संक्रमण अन्य व्यक्तिओं में फैलता है।
- संक्रमित व्यक्ति द्वारा खुले में थूकने से अन्य व्यक्ति संपर्क में आते है और संक्रमित हो जाते है। अतः बिना धुले हुये हाथों से नाक, ऑख एवं मुँह को छुने से तथा किसी सतह को जैसे कि – दरवाजे, हेन्डल, एलिवेटर के बटन आदि को छुने भी संक्रमण फैलता है।

प्र.02 कोरोना संकमित व्यक्ति के लक्षण क्या होते है ?

उ.02 यह बीमारी मुख्यतः श्वसन तंत्र जैसे कि नाक, गला एवं फेफड़े आदि को प्रभावित करती है। कोरोना संक्रमण के आम लक्षण निम्नानुसर है:–

- कोविड–19 के प्रारंभिक लक्षण सामान्यतः साधारण फ्लू के समान होते है। सर्दी, जुकाम, बुखार, सूखी खॅासी, गले में खराश, सीने मे जकडन तथा सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कुछ रोगियों में नाक बहना/बंद होना, मांसपेशियों व जोडो मे दर्द जैसे लक्षण तथा दस्त जैसे लक्षण पाये जाते है।
- स्वाद तथा स्वाद न आना तथा गंध महसूस न होना जैसे लक्षण भी कुछ रोगियों में पाये जाते है।

प्र.03 जन सामान्य द्वारा कोविड–19 रोग से बचने हेतु क्या सावधानियाँ बरती जाना चाहिए?

उ.03 जन सामान्य द्वारा कोरोना संक्रमण एवं कोविड–19 रोग से बचने हेतु निम्न सावधानियाँ बरती जाना चाहिएः–

- हाथो की सफाई व स्वच्छता, बार–बार हाथों को एल्कोहॉल वेस्ड का उपयोग करें।
- कोविड–19 संक्रमण से पॉजिटिव रोगियों की संख्या में वृद्धि की दर बढ रही है। प्रदेश की रणनीति अनुसार संक्रमित की पहचान आईसोलेशन, जॉच तथा उपचार किया जाता है।
- नियमित रूप से मास्क का उपयोग करें तथा बाहर जाते समय अनिवार्य रूप से मास्क लगाये।
- कार्यस्थल पर तथा समुदाय में दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखे।
- छींकते व खांसते समय नाक व मुंह को ढके, प्रयोग में लाए गए टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेकें।
- नियमित रूप से साबुन व पानी से हाथ धोये तथा एल्कोहाल युक्त सेनेटाईजर का प्रयोग करें।
- भीड़–भाड़ वाली जगह पर जाने तथा अनावश्यक यात्रा से बचें।
- सर्दी–खांसी, बुखार या सांस लेने में परेशानी है तो शासकीय फीवर क्लीनिक में उपचार प्राप्त करें।
- संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर चिकित्सक से संपर्क करें।
- हेंड्ल्स, हैंड रेल तथा सतहो को अनावश्यक न छुएं।

प्र.04 कोविड–19 संक्रमण का अधिक जोखिम किनको है?

उ.04 बच्चों, गर्भवती महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र के वयोवृद्ध नागरिक तथा दीर्घकालिक रोग जैसे मधुमेह, रक्तचाप, गुर्दे, फेफड़े, हृदय रोग, केन्सर के रोगियों को कोविड–19 के संक्रमण का अधिक जोखिम होता है।

प्र.05 क्या कोविड–19 रोग का वृद्ध नागरिकों को अधिक खतरा होता हैं?

उ.05 जी हाँ, वृद्ध जनों में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी तथा अन्य दीर्घकालीन रोग जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, फेफड़े, गुर्दे के रोगों की अधिकता के कारण कोविड–19 संक्रमण की अधिक संभावना होती है। साथ ही, वृद्धावस्था में कोविड–19 का प्रकोप अधिक गंभीर होने के कारण वृद्ध नागरिकों को उच्च जोखिम रहता है।

प्र.06 वृद्ध नागरिकों को कोविड–19 के बचाव हेतु क्या करना चाहिए?

उ.06 वृद्ध नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना चाहिए व अतिथियों से मिलने का परहेज अथवा न्यूनतम 1 मीटर की दूरी बनाना चाहिए। खॉसते–छींकते समय मुँह को रूमाल, तौलिया, गमछा आदि से ढंकना चाहिए। घर पर बना ताजा पका संतुलित भोजन व पेय पदार्थो का सेवन करना चाहिए। चिकित्सीय सलाह अनुरूप औषधियों का सेवन तथ नियमित हल्के व्यायाम करना चाहिए। बुखार, खांसी अथवा सांस की तकलीफ होने पर तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर जॉच करानी चाहिए।

प्र.07 कोविड–19 से बचाव हेतु आम जनों को क्या–क्या नहीं करना चाहिए?

उ.07 बार–बार चेहरे को छूने से बचना चाहिए व हाथों को साबुन–पानी से धोना चाहिए। खॉसी या बुखार होने पर अन्य सदस्यों के पास नहीं जाना चाहिए। बिना डॉक्टरी सलाह के दवा नहीं लेना चाहिए। भीड़–भाड़ वाले जगहों पर जाने से बचना चाहिए।

प्र.08 संपर्क में आये व्यक्तियों अथवा संदिग्धों की कोविड–19 जांच कब करानी चाहिए?

उ.08 संपर्क में आये व्यक्तियों अथवा संदिग्धों की जांच निम्न स्थितियों में कराना उचित है:–

- यदि किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण है।
- यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क मे आया हो जिसकी प्रयोगशाला द्वारा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई हो।
- कोविड–19 के लक्षण उत्पन्न होने पर तत्काल एवं लक्षण रहित होने पर पुष्ट रोगी के सीधे संपर्क दिनांक से 5–10 दिन के भीतर कोविड–19 की जांच कराना चाहिए। लक्षण रहित मामलों में 10 वें दिन जांच कराने से कोविड–19 की पुष्टि की उच्च संभावना होती है।

प्र.09 संभावित संक्रमित व्यक्ति की जांच कहाँ करनी चाहिए ?

उ.09 संभावित संक्रमित व्यक्ति की जांच के लिए निम्न कार्यवाही की जाना चाहिए:–

- निकट के शासकीय चिकित्सालय अथवा फीवर क्लीनिक में चिकित्सक से संपर्क करना चाहिये।
- सेम्पल संग्रहण रेपिड रिस्पॉन्स टीम, फिवर क्लीनिक एवं शासकीय चिकित्सालयों तथा शासन द्वारा चिन्हित संस्थाओं में किया जा सकता है।
- **Indian Council of Medical Research** के दिशानिर्देशो का पालन करते हुए संक्रमित व्यक्ति का थ्रोट तथा नेजल स्वाब से सेंपल प्राप्त कर लैब में जांच की जाती है।
- लैब जांच समस्त जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेज एवं शासन द्वारा कोविड–19 की जांच के लिये मान्यता प्राप्त निजी लैब में की जाती है।

प्र.10 कोविड–19 की जांच हेतु "गोल्ड स्टेन्र्ड टेस्ट" क्या है?

उ.10 कोविड–19 की जांच हेतु आर.टी.पी.सी.आर. जांच पद्धति को "गोल्ड स्टेन्र्ड टेस्ट" माना गया है।

प्र.11 कोविड–19 के परीक्षण हेतु विशेष परिस्थितियाँ क्या है?

उ.11 कोविड–19 के परीक्षण हेतु निम्न व्यवस्थायें सुनिश्चित हैः–

- जहाँ बड़ी संख्या में सामूहिक सैम्पलिंग की आवश्यकता हो जैसे **Asylums, Institution for mentally challenged patients, Migrant settlements, Jails** आदि में **Pooled RTPCR** का उपयोग किया जा सकता है।

- **Elective Surgery** के लिए नियत रोगियों में चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप कोविड–19 की जांच हेतु **CBNAAT/TruNAT/RTPCR** का उपयोग किया जाता है।

- **Emergency surgical procedures (including obstetrics)** हेतु कोविड परीक्षण के अभाव में किसी भी शल्य क्रिया को लंबित नहीं किया जाना है। **ILI/SARI** के लक्षण वाले हॉटस्पॉट/कन्टेन्मेन्ट ज़ोन से आने वाले प्रकरणों में आई.सी.एम.आर. के निर्देश अनुरूप कोविड–19 की जांच **RTPCR** जांच पद्धति से किया जाता है। त्वरित रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए **Rapid Antigen Testing (Standard Q COVID-19 Ag detection kit)** का उपयोग किया जा सकता है।

- कोविड–19 के संदिग्ध प्रकरणों में **Rapid Antigen Test** के **"Negative"** पाये जाने पर लक्षण युक्त रोगियों की अनिवार्यतः पुनः जांच **RTPCR** पद्धति से कराई जाती है ताकि कोविड संक्रमण की पुष्टि हो सके।

- **Rapid Antigen Test** के **"Positive"** पाये जाने पर रोगी को कोविड पॉजिटिव ही माना जाता है और ऐसी स्थिति में पुनः **RTPCR** जांच से पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती।

- **ICMR, Dept. of Health Resarch, MoHFW, GoI के निर्देश, दिनांक 14/06/2020 द्वारा Standard Q COVID-19 Ag detection kit का उपयोग Gold Standard RTPCR Test के साथ निम्न परिस्थितियों के लिए अनुशंसित है जिनका पालन किया जाता है:–**

A. Containment zones or hotspots (to be performed onsite under strict medical supervision and maintaining kit temperature between 2° to 30° C.):

i) All symptomatic Influenza Like Illness (ILI).

ii) Asymptomatic direct and high-risk contacts with co-morbidities (lung disease, heart disease, liver disease, kidney disease, diabetes, neurological disorders, blood disorders) of a confirmed case to be tested once between day 5 and day 10 of coming into contact.

B. Healthcare settings (to be performed onsite under strict medical supervision and maintaining kit temperature between 2° to 30° C)

i) All symptomatic ILI patients presenting in a healthcare setting and are suspected of having COVID19 infection.

ii) Asymptomatic patients who are hospitalized or seeking hospitalization, in the following high-risk groups:

- Patients undergoing chemotherapy
- Immunosuppressed patients including those who are HIV+;
- Patients diagnosed with malignant disease;
- Transplant patients;
- Elderly patients (>65 yrs of age) with co-morbidities (lung disease, heart disease, liver disease, kidney disease, diabetes, neurological disorders, blood disorders)

iii) Asymptomatic patients undergoing aerosol generating surgical / non-surgical interventions.

- Elective/emergency surgical procedures like neurosurgery, ENT surgery, dental procedures;
- Non-surgical interventions like bronchoscopy, upper GI endoscopy and dialysis.

*ILI case is defined as one with acute respiratory infection with fever ≥ 38◦C AND cough.

प्र.12 कोरोना संक्रमण के संदेश अथवा पुष्टि पर क्वारंटाईन की आवश्यकता क्यों है?

उ.12 कोविड–19 एक संक्रामक रोग है जिसमें व्यक्तियों के परस्पर निकटता एवं संक्रमित श्वसन स्राव के संपर्क में आने से संक्रमण की बहुत अधिक संभावना होती है। साथ ही बिना व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के बंद वातावरण में संक्रमित सूत्र के संपर्क में आने से भी कोविड–19 का संक्रमण होना संभव है।

प्र.13 क्वारंटाईन से क्या अभिप्राय है?

उ.13 क्वारंटाईन का अभिप्राय है कि संभावित संक्रमण वाले स्वस्थ्य व्यक्तियों के विचरण को नियंत्रित कर संक्रमण की चेन को तोड़ना/नागरिकों को घर अथवा संस्था स्तर पर क्वारंटाईन किया जा सकता है।

प्र.14 क्वारंटाईन किन्हें किया जाता है?

उ.14 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को क्वारंटाईन किया जाता है। साथ ही, अंतराष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान कोविड पॉजीटिव केस के सहयात्री होने पर भी क्वारंटाईन किया जाता है।

प्र.15 'संपर्क' या Contact किसे कहते हैं?

उ.15 'संपर्क' व्यक्ति वो होता है जो वर्तमान में स्वस्थ्य है लेकिन संक्रमित व्यक्ति अथवा संक्रमित सतह के संस्पर्श के कारण बीमारी का उच्च जोखिम रखता है। कोविड–19 के संदर्भ में 'संपर्क' व्यक्ति निम्नानुसार है:–

- कोविड–19 पुष्ट केस के घर के सदस्य
- कोविड–19 केस के सीधे शरीरिक संपर्क अथवा संक्रमित स्राव के सीधे संपर्क में बगैर व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के आया व्यक्ति
- कोविड–19 केस के संपर्क में बंद वातावरण में 1 मीटर से कम दूरी में आमने–सामने आया व्यक्ति।

प्र.16 होम क्वारंटाईन किसे किया जाता है?

उ.16 कोविड–19 केस के संपर्क आए स्वस्थ्य/लक्षण रहित व्यक्तियों को घर में पृथक रहने की समुचित व्यवस्था (शौचालय युक्त कमरा) होने पर होम क्वारंटाईन किया जाता है।

प्र.17 होम क्वारंटाईन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?

उ.17 होम क्वारंटाईन हेतु आवश्यक है कि पृथक कमरा हो, पृथक शौचालय हो, खाने पीने के बर्तन अलग रखने की सहूलियत उपलब्ध हो।

प्र.18 होम क्वारंटाईन में व्यक्ति को क्या–क्या करना चाहिए?

उ.18 होम क्वारंटाईन में रहने वाले व्यक्ति को एक पृथक हवादार कमरे में रहना चाहिए जिसमें यथासंभव पृथक शौचालय की उपलब्धता हो। उसे घर के वृद्ध जन, गर्भवती महिलाएँ, बच्चे तथा अन्य सदस्यों से दूरी बनाना चाहिए। सामाजिक/धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

प्र.19 होम क्वारंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को क्या–क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए?

उ.19 होम क्वारंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिएः–

- सर्वथा मास्क का उपयोग करना चाहिए। गंदा होने पर मास्क को बदला जाना चाहिए।
- इस बात का विषेश ध्यान रखना चाहिये कि वह जिस कमरे में वो रह रहा है वह जिससे घर में रहने वाले अन्य सदस्य विशेषकर वृद्ध, गर्भवती महिला एवं बच्चे संपर्क में न हो।
- परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए।
- व्यक्ति को संतुलित आहार, तरल पेय पदार्थ एवं आराम करना चाहिए।
- व्यक्तिगत सुरक्षा एवं हाथों की सफाई के लिए साबुन पानी एवं हैड सेनिटाईजर का प्रयोग बार–बार करना चाहिए।
- यदि पृथक शौचालय नहीं हो तो, शौचालय में जाने के पूर्व एवं बाद में हाथों को साबुन पानी से धोना एवं यथासंभव शौच के बाद घर के अन्य सतहों को कम से कम छूने का प्रयास करना चाहिए।
- कपड़े एवं कमरो की सफाई 01 प्रतिशत सोडियम हॉयपोक्लोराईट सोल्यूशन से करना चाहिए।

प्र.20 होम क्वारंटाईन के दौरान जन स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है?

उ.20 (1) बार–बार साबुन पानी से हाथों की धुलाई अथवा अल्कोहोल युक्त सेनेटाईजर का उपयोग कराना। (2) घरेलु वस्तुएँ जैसे बरतन, गिलास, कप, थाली, तौलिया, गद्‌दा आदि को अन्य सदस्यों से सांझा न करना। (3) हमेशा मास्क का उपयोग करना। (4) 6–8 घंटे या मास्क के भीग जाने पर बदलना। (5) उपयोग किए गए हुए मास्क को 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट से धोकर जलाना अथवा गाढना। (6) खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ होने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करना।

प्र.21 होम क्वारंटाईन व्यक्ति के घर के सदस्यों को क्या करना हैं?

उ.21 होम क्वारंटाईन व्यक्ति की देखभाल में केवल 1 विशिष्ट सदस्य को ही संपर्क में रहना चाहिए। मैले चादर आदि को छूते समय ग्लवस का उपयोग करना चाहिए व उतारने के बाद साबुन पानी से हाथ धोना चाहिए। यथासंभव अतिथियों को घर पर नहीं बुलाना चाहिए। देखभालकर्ता को सदैव मास्क का उपयोग करना चाहिए एवं घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए ताकि समुदाय में संक्रमण के चेन का प्रसार को रोका जा सके।

प्र.22 होम क्वारंटाईन हेतु निर्देशित अवधि क्या है?

उ.22 कोविड–19 के पुष्ट केस के संपर्क दिनांक से 14 दिवस तक लक्षण रहित होने पर अथवा संदिग्ध इंडेक्स केस की जॉच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इससे पहले भी 'संपर्क' व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन से मुक्त किये जाने के निर्देश हैं।

प्र.23 संस्थागत क्वारंटाईन किसे किया जाता है?

उ.23 संस्थागत क्वारंटाईन हेतु मापदण्ड निम्नानुसार है:–

- जब घर पर क्वारंटाईन होने की उचित व्यवस्था न हो अथवा कोई बीमार 60 वर्ष के अधिक उम्र का सदस्य हो।
- 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक जिन्हें दीर्घकालीन अंतर्निहित बीमारी हो।
- व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह जो हॉट स्पॉट जोऩ से आए हो व एक ही वाहन में अंतराष्ट्रीय, अंतराज्यि या अंतर्जिला में यात्रा की हो।
- कोविड अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य प्रदाताओं को 14 दिवस तक निरन्तर कार्य करने के उपरान्त।

प्र.24 संस्थागत क्वांरटाईन की आवश्यकता क्यों है?

उ.24 प्रायः घर पर संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पर्याप्त आवश्यक सर्तकर्तायें नहीं बरती जाती हैं जिसके कारण परिवार के अन्य संदस्यों को संक्रमण का जोखिम हो जाता है। अतः यदि घर पर छोटे बच्चे, गर्भवती महिला, वयोवृद्ध सदस्य अथवा अन्य उच्च जोखिम व्यक्ति जैसे हद्‌य, गुर्दे, फेफड़े, मधुमेह, उच्च रक्तचाप के रोगी हो तो, संदिग्ध व्यक्ति के लिए संस्थागत क्वारंटाईन होना बेहतर विकल्प है।

प्र.25 संक्रमित व्यक्तिओं अथवा पुष्ट रोग को आईसोलेट करने हेतु प्रशासन की क्या व्यवस्थायें है?

उ.25 लक्षण के आधार पर संक्रमित व्यक्तियों तथा पुष्ट रोगियों का श्रेणीकरण कर निम्न केन्द्रों पर भर्ती किया जाता है:–

- कोविड केयर सेन्टर (CCC) – बिना लक्षण वाले या मंद लक्षण वाले संक्रमित रोगी, जिनके घर में अलग व्यवस्था उपलब्ध नही है, को रखा जाता है। यहा उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है। प्रशिक्षित स्टॉफ के द्वारा निगरानी की जाती है। आवश्यकता होने पर डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) में रेफर किया जाता है।
- डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (DCHC) – मध्यम लक्षण वाले तथा कम गंभीर कोविड–19 रोगियों को इन संस्थाओं में रखा जाता है। इन केन्द्रो पर प्रशिक्षित चिकित्सकों द्वारा उपचार, औषधिया, ऑक्सीजन सुविधा तथा आवश्यक जांचे उपलब्ध करायी जाती है। गंभीर होने पर डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) में रिफर किया जाता है।
- डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (DCH) अति गंभीर कोविड–19 के संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार ऑक्सीजन सुविधा दक्ष चिकित्सकों द्वारा प्रदान किया जाता है।
- इन केन्द्रों पर पल्स ऑक्सीमीटर नॉन कान्टेक्ट थर्मामीटर एवं अन्य प्रकार की सुविधायें जो संक्रमित व्यक्ति के लिये आवश्यक है, इन संस्थाओं पर उपलब्ध रहती है।
- इन संस्थाओं पर रोगियों के लिये भोजन, दूध के पैकेट एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है।
- प्रतिदिन चादर, तकियों के कवर बदले जाते है एवं 01 प्रतिशत सोडियम हॉयपोक्लोराईट सोलयूशन में डालकर 30 मिनट तक डिटरजेंट से धुलाई की जाती है।
- इन केन्द्रो पर प्रशिक्षित मेडिकल स्टॉफ एवं पैरामेडिकल स्टॉफ संक्रमित व्यक्तिओं की देखरेख करता है।

प्र.26 क्या कोविड–19 रोगियों को CCC में रख सकते हैं ?

उ.26 कोविड–19 रोगियों को **CCC** में संदिग्ध केसेस से पृथक निर्धारित वॉर्डस् में ही रखा जाता है । किसी भी स्थिति में संदिग्ध और पुष्ट केस को साथ नहीं रखा जाता है।

प्र.27 संस्थागत क्वारंटाईन में क्या व्यवस्थायें होती है?

उ.27 संस्थागत क्वारंटाईन तथा कोविड केयर सेन्टर में संदिग्धों एवं कोविड–19 के मंद लक्षण वाले पुष्ट केस के प्रबंधन की व्यवस्थायें होती है।

- एक कक्ष में आम तौर पर 2 से 3 व्यक्तियों को रखा जाता है और एक ही परिवार के सदस्यों को एक साथ रखने की व्यवस्थायें की जाती है।
- क्वारंटाईन अवधि में प्रति दिन चिकित्सकों के द्वारा जांच एवं लक्षणों का सर्वेलेन्स किया जाता है।
- आहार व पेय जल की समुचित व्यवस्थायें प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
- क्वारंटाईन केन्द्र पर रहने के दौरान लक्षण उत्पन्न होने पर लक्षणों के आधार पर संबंधित व्यक्ति को कोविड केयर सेन्टर (**CCC**), डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर (**DCHC**) तथा डेडिकेटेड कोविड अस्पताल (**DCH**) में अंतरित किया जाता है।

प्र.28 क्या लक्षण रहित संदिग्ध व्यक्तियों के लिए Paid Quarantine की भी सुविधा उपलब्ध है?

उ.28 प्रशासन द्वारा लक्षण रहित संदिग्ध व्यक्तियों के लिए **Paid Quarantine** की व्यवस्था चिन्हांकित होटल्स में की गई है जहाँ स्वयं के व्यय पर 14 दिवसीय आईसोलेशन अवधि का पालन किया जा सकता है।

प्र.29 संस्थागत क्वारंटाईन में जाने हेतु परिवहन की क्या व्यवस्थायें है?

उ.29 परिवहन हेतु निम्न निर्देश एवं व्यवस्थायें है:–

- कोविड–19 के संदिग्ध केस एवं मंद लक्षण वाले प्रकरणों को संस्थागत क्वारंटाईन में ले जाने हेतु प्रशासन द्वारा निःशुल्क एम्बुलेन्स की व्यवस्था की जातीी है।
- बढ़ते संक्रमण एवं सीमित संस्थाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जागरूक एवं सक्षम नागरिकों के द्वारा व्यक्तिगत साधन से भी संस्थागत क्वारंटाईन हेतु चिन्हांकित केन्द्रों में आया जा सकता है। इस दौरान निम्न सर्तकतायें बरती जाये:–
    - परिवहन के दौरान वाहन में मास्क का उपयोग किया जाये।
    - हांथों की स्वच्छता हेतु सेनिटाईजर का उपयोग किया जाये।
    - खिड़किया खुली रखी जाये एवं ड्राईवर से दूरी बना कर रखी जाये।
    - बंद एवं वातानुकूलित वाहनों का उपयोग नहीं किया जाये।
    - ड्राईवर द्वारा मास्क एवं दस्तानों का उपयोग किया जाये।
    - यथासंभव एक वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा सफर नहीं किया जाये।
    - परिवहन के पश्चात वाहन का विसंक्रमण 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट से सुनिश्चित की जाये।

प्र.30 संस्थागत क्वारंटाईन में जाने से पूर्व व्यक्ति को क्या–क्या तैयारियाँ करनी चाहिए?

उ.30 संस्थागत क्वारंटाईन में जाने से पूर्व व्यक्ति को निम्न तैयारियाँ करनी चाहिएः–

- 14 दिवस की भर्ती अवधि के लिए आवश्यक कपड़े, तौलिया, साबुन, तेल, टूथ पेस्ट, टूथ ब्रश आदि पैक करना चाहिए।
- आवश्यक औषधियाँ जो दैनिक रूप से लेते हों, को साथ रखना चाहिए।
- सेनिटाईजर की 2–3 बोतलें साथ रखना चाहिए।
- व्यक्तिगत उपयोग हेतु आवश्यक संसाधन लेकर जाना चाहिए।
- मास्क का पर्याप्त स्टॉक अर्थात एक दिन के लिए 3 मेडिकल मास्क के मान से 14 दिन हेतु लगभग 45 मास्क साथ रखना चाहिए।
- स्वयं के मनोरंजन हेतु किताबे, धार्मिक ग्रन्थ, मोबाईल, मोबाईल चार्जर, साथ रखना चाहिए।

प्र.32 पॉजिटिव केस चिन्हित होने पर क्या प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाहियाँ की जाती है ?

उ.32 जिले मे पॉजिटिव केस चिन्हित होने पर प्रशासन द्वारा निम्न कार्यवाहियाँ की जाती हैः–

- कंटेनमेंट एरिया का चिन्हांकन
- कंटेनमेंट ज़ोन का चिन्हांकन
- कंटेनमेंट ज़ोन मे होम क्वॉरेंटाइन व्यक्तियों की कम्युनिटी सर्विलेंस द्वारा मॉनिटरिंग
- जरूरत पड़ने पर इन होम क्वॉरेंटाइन व्यक्तियों की आरआरटी द्वारा सेंपलिंग
- कंटेनमेंट जोन में SARI/ILI केसेस की निगरानी एवं जरूरत पड़ने पर टेस्टिंग

प्र.33 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया क्या है?

उ.33 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उन व्यक्तियों को चिन्हांकित किया जाता है जो लैब जांच में पॉजिटिव आये व्यक्ति के संपर्क में रहे हो। ऐसे व्यक्तियों को संक्रमण का खतरा अधिक होता है जो परिवार के सदस्य है।

- कांटेक्ट ट्रेसिंग के दौरान संक्रमित व्यक्ति क सीधे एवं निकट संपर्क में रहे व्यक्ति **High Risk** की श्रेणी में रखे जायेंगे। इनमे वे व्यक्ति शामिल होंगे अ. जो रोगी के घर में रहते हो और ब. बिना व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों रोगी अथवा उसके द्वारा उपयोग की गयी वस्तुओं/वस्त्रों आदि के अथवा स्वयं रोगी के शारिरिक संपर्क में आये हों, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर से हुए किसी भी प्रकार के स्त्राव के संपर्क में आये हों अथवा जो रोगी के 03 फीट के दायरे में बिना व्यक्तिगत सुरक्षा साधनों के मौजूद रहे हों। तथा क. जो व्यक्ति जिन्हें **ILI (Influenza like Symptoms)/SARI (Severe Acute Respiratory Illness)** के लक्षण है।
- इसी प्रकार वे व्यक्ति **Low Risk** की श्रेणी में आयेंगे जो पॉजिटिव व्यक्ति के साथ ही किसी एक कमरे या अन्य स्थल पर संपर्क में आये हों या कि एक ही परिवहन के साधन में एक साथ यात्रा की हो किन्तु **High Risk Exposure** नहीं रहा हो।
- इस सभी व्यक्तिओं के सेम्पल संग्रहण लिये जाते है एवं पॉजिटिव आने पर शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चिकित्सकीय सेवाये प्रदाय की जाती है।
- अगर व्यक्ति लक्षण रहित हो एवं सेम्पल संग्रहण में निगेटिव रिपोर्ट हुआ हो वह व्यक्ति अपने आप को 14 दिवस के लिये क्वॉरन्टाईन करेगा। 14 दिवस उसके संक्रमित व्यक्ति से आखरी संपर्क में आने के पश्चात माना जावेगा।
- अगर व्यक्ति पॉजिटिव रिपोर्ट किया जाता है तो उसे शासन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप चिकित्सकीय सेवाये प्रदाय की जाती है।
- निकट संपर्क व्यक्ति उसे माना जावेगा जोकि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो (15 मिनट से 2 दिन तक) जब संक्रमित व्यक्ति को लक्षण दिखाई देने लगे हो या फिर व्यक्ति अगर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आया हो और वह व्यक्ति का सेम्पल 2 दिवस पूर्व ही पॉजिटिव प्राप्त हुआ हो।

प्र.34 कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग किसके द्वारा की जाती है?

उ.34 सर्वे दल द्वारा यह कार्य किया जाता है एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह जानकारी ली जाती है।

प्र.35 पॉज़िटिव इंडेक्स केस के कांटेक्ट लिस्ट में किनको सम्मिलित किया जाता है?

उ.35 पॉज़िटिव इंडेक्स केस की कांटेक्ट लिस्ट मे निम्न व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है:–

- पॉज़िटिव इंडेक्स केस के साथ रह रहे परिवार के सदस्य
- कार्यस्थल पर सहकर्मी एवं कार्यरत कर्मचारी
- संक्रमण की पुष्टि होने की अवधि के पूर्व आए परिचित दोस्तों एवं रिश्तेदार
- घर पर आने वाले नौकर कर्मचारी ड्राइवर आदि जो सीधे संपर्क में आए हैं
- दूध वाला सब्जी वाला जनरल स्टोर आदि अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने वाले व्यक्ति
- पॉजिटिव के द्वारा विगत 15 दिनों में यदि किसी भी समारोह आयोजनों में सम्मिलित हुआ है एवं उस समारोह आयोजन की तारीख तथा वहां आए समस्त लोगों की सूची
- सामाजिक स्थल जैसे मंदिर दुकान मॉल सिनेमा पर यदि गया है तो संपर्क में आए संभावित लोगों की लाइन लिस्ट –यदि उस अवधि में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग किया है तो पैसेंजर की सूची
- अन्य किसी माध्यम से संपर्क में आए लोगों की सूची

प्र.36 कंटेनमेंट जोन क्या है?

उ.36 कोविड–19 पॉजिटिव व्यक्ति के निवास को एपीसेंटर मानते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। कंटेनमेंट ज़ोन की भौगोलिक सीमाएं पॉजिटिव केसेस का भूस्थानिक फैलाव, प्रशासकीय सीमाएं तथा लोगों का आवागमन सफलतापूर्वक रोक पाने की साध्यता पर निर्भर करता है।

प्र.37 बफर जोन क्या है ?

उ.37 बफर जोन कंटेनमेंट एरिया से लगा हुआ क्षेत्र होता है जिसमें पॉजिटिव केस मिलने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। बफर जोन में सर्विलेंस और प्रचार–प्रसार का कार्य किया जाता है। प्रशासन द्वारा बफर जोन में **SARI/ILI** के लक्षण वाले रोगियों की सघन सर्वेलेन्स किया जाता है एवं कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण वाले व्यक्तियों की रेपिड रेस्पोन्स दल द्वारा सेंपलिंग कराई जाती है।

प्र.38 सार्थक लाईट एप क्या है ?

उ.38 सार्थक लाईट एप क संबंध में निम्नानुसार जानकारी से अवगत कराया जाता हैः–

- सार्थक लाईट एप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- इसे व्यक्ति अपने **Smart Phone** पर निःशुल्क **download** कर सकता है। इस हेतु उसे केवल **OTP** की आवश्यकता होगी। **App download** करने पर उस व्यक्ति को आसपास उपलबध चिकित्सा सुविधा तथा टेस्टिंग सुविधा की जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
- सार्थक लाईट एप में कोविड–19 से बचाव हेतु आवश्यक जानकारी भी उपलब्ध होती है।
- **App download** करने पर व्यक्ति को यदि कोरोना संक्रमण के संभावित लक्षण है तो, उसकी जानकारी एप के माध्यम से http://mphealthresponse.nhmmp.gov.in/ पोर्टल पर दिया जा सकता है।

संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी एप में दर्ज होने के पश्चात उक्त पोर्टल में दर्शित होगी।

प्र.39 क्या निजी अस्पतालों को कोविड–19 रोगियों के उपचार की अनुमति है?

उ.39 शासन द्वारा किसी भी निजी अस्पताल को कोविड–19 के उपचार हेतु वर्जित नहीं किया गया है। परन्तु उक्त अस्पताल में कोविड–19 के रोगियों के उपचार/प्रबंधन हेतु आवागमन की पृथक व्यवस्था, रोगी के प्रबंधन हेतु पृथक एवं आवश्यक मानव संसाधन व संक्रमण नियंत्रण की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में संदिग्ध अथवा पुष्ट रोगी का संपर्क अन्य रोगियों से नहीं हो।

प्र.40 क्या जन साधारण द्वारा निजी चिकित्सालयों में कोविड संक्रमण का उपचार कराया जा सकता है?

उ.40 कोविड–19 को पुष्ट रोगी अपने स्वयं के व्यय पर निजी चिकित्सालय में उपचार करा सकता है यदि संबंधित निजी अस्पताल में कोविड–19 के उपचार/प्रबंधन हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध हों।

Thanks